




नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के लिए किये गये उपाय

- 62 जनपदों में केवल आम, नीम, साल, महुआ एवं खैर के पेड़ों को छोड़कर अन्य समस्त प्रजाति के पेड़ों की कटान व दुलान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं
- 13 जनपदों में केवल आम, नीम, साल, महुआ, खैर एवं सागौन के पेड़ों को छोड़कर अन्य समस्त प्रजाति के पेड़ों की कटान व दुलान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं
- कटान व दुलान की अनुमति आवश्यक न होने से समय व धन की बचत।



उत्तर प्रदेश कृषि वानिकी मिशन के अन्तर्गत किसानों को पौध रोपण हेतु अनुदान

- खेत या मेड़ पर वृक्षारोपण हेतु अनुदान
- अनुदान धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में
- 50 प्रतिशत लाभार्थी लघु एवं सीमान्त कृषक, जिनमें न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाएं
- मेड़ पर वृक्षारोपण में व्यय का 50 प्रतिशत या रु. 35/- प्रति पौध जो भी कम हो, का अनुदान
- कृषि भूमि में वृक्षारोपण हेतु व्यय का 50 प्रतिशत या रु. 14,000/- प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो, का अनुदान।



काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन

- 30 सेंटीमीटर व्यास से कम नाप का आरा प्रयोग करने वाली इकाइयों को लाइसेंस से छूट
- लाइसेंस के आवेदन व निस्तारण की ऑन लाईन व्यवस्था

